न्यायालय सहायक कलेक्टर रानीवाडा जिला सांचौर

पीठासीन अधिकारी श्री भागीरथ राम, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 30/2018

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. रीदाराम पुत्र जोगाजी 2. वगता पुत्र जोगाजी 3. रेखा पुत्र जोगाजी 4. हरजी पुत्र जोगाजी 5. जतना बेवा जोगाजी समस्त जातियान कलबी निवासी दौलतपुरा तहसील रानीवाडा		1. रणछोडा पुत्र गलबा 2. थानाराम पुत्र गलबा 3. कोकू पुत्री गलबा 4. मथरा पुत्री गलबा 5. विमला पुत्री गलबा 6. बगीदेवी बेवा गलबा समस्त जातियान कलबी निवासीयान दौलतपुरा 7. शाखा प्रबंधक मारवाडा ग्रामीण बैक शाखा मालवाडा 8. उपपंजीयक रानीवाडा 9. तहसीलदार रानीवाडा

दावा बाबत बंटवाडा एवं जारी करने स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. वादी के अधिवक्ता श्री रमेश कुमार गर्ग।
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के अधिवक्ता श्री श्रवणसिंह देवडा।
3. प्रतिवादी संख्या 8 व 9 राजपेरोकार तहसीलदार रानीवाडा।

: –: निर्णय :–

दिनांक 22.02.2024

1. वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अंतर्गत धारा 53, 88, 188 बाबत् खातेदारी हक, बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है। जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण व प्रतिवादीगणों की पुश्तैनी कब्जासुदा खातेदारी आराजी सरहद मौजा दौलतपुरा में आयी हुई है। जिसके राजस्व रेकर्ड में खसरा नंबर 203, रकबा 0.08 हैक्टेयर गै.मू. ढाणी खसरा नंबर 204 रकबा 0.63 हैक्टेयर किस्म जाव प्रथम व सायी प्रथम, खसरा नंबर 205 रकबा 0.61 हैक्टेयर किस्म जाव प्रथम व सायी प्रथम, खसरा नंबर 558 रकबा 0.65 हैक्टेसी किस्म बारानी दौयम, खसरा नंबर 631 रकबा 2.26 रकबा हैक्टेयर किस्म बारानी दौयम, खसरा नंबर 632 रकबा 0.07 हैक्टेयर किस्म बारानी दौयम जुमले खसरा 6 तथा रकबा 5.30 हैक्टेयर राजस्व रेकर्ड में दर्ज हैं। उक्त आराजी आज से 50 वर्ष पूर्व उक्त खातेदारी आराजी का मौखिक बंटवाड़ा हो चुका है मौखिक बंटवाड़ा के अनुसार प्रतिवादीगण को प्रत्येक खसरान में 1/3 हिस्सा दिया गया था पर मौके पर पुराने बंटवाड़ा के अनुसार माठ कायम है वादीगण का खातेदारी हक राजस्व रेकर्ड में तरमीम नहीं होने से तथा हिस्सा कायम नहीं होने से प्रतिवादीगणों ने श्रीमान की अदालत में एक झुठा दावा पेश किया है तथा साथ में एक परिशिष्ठ भी रंग भर कर दर्शाता है जो बिल्कुल गलत है राजस्व रेकर्ड में हिस्सा दर्ज नहीं होने की वजह से प्रतिवादीगणों ने एक नाजायज [illegible] 1/2 हिस्से की मांग की हैं। जो सरासर गलत है।

वर्तमान में प्रतिवादीगण [illegible] बंटवाड़ा जिनमें इनको 1/3 हिस्सा दिया गया था मौके पर वादी और प्रतिवादीगणों की पुरानी माठ कायम है। वादीगणों ने उक्त भूमि को उपजाउ बनाया है वृक्ष लगवाये है। अब प्रतिवादीगणों के हिस्से में मौखिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.03.11 11:29:00 IST
Reason: SelfAttested

बंटवाड़ा के अनुसार मात्र 1.04 हैक्टेयर भूमि होने से वे राजस्व रेकर्ड का सहारा लेकर जिसमें बंटवाड़ा राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं होने के आधार पर 1/2 हिस्सा हड़पना चाहते है जो सरासर गलत है। वादीगण और प्रतिवादीगणों के बीच में किसी भी प्रकार का खुनी रिश्ता नहीं है। इसके उपरान्त भी 1/2 हिस्से की मांग करना सरासर गलत है। वादीगण प्रतिवादीगणों से बेहद आहत है। प्रतिवादीगण आये दिन झुठे मुकदमे करते रहते है लाठी के बल पर हमारे पुश्तैनी कब्जासुदा आराजी को हड़पना चाहते है तथा जान से मारने की एलानिया धमकी दे रहे हैं। प्रतिवादीगणों के दुर व्यवहार से त्रस्त होकर श्रीमान के अदालत में दावा बाबत खातेदारी हक बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का दावा पेश किया जा रहा है।

अतः सरहद मौजा दौलतपुरा के खसरा नंबर 203, 204, 205, 558, 631, 632 जुमले रकबा 5.30 हैक्टेयर में 50 वर्ष पुराने बंटवाड़े के आधार पर तथा कब्जासुदा पुरानी माठ के आधार पर वादीगणों के पक्ष में 4.26 हैक्टेयर आराजी के खातेदारी हक की घोषणा करते हुए राजस्व रेकर्ड में अमल दरामदगी तथा वर्तमान चालु नक्शा ट्रैस में वादीगणों की अलग खातेदारी अलग – अलग नवीन खसरानों में दर्शाने करने की तहरीर भूमिधारी तहसीलदार रानीवाड़ा को जारी करावे। साथ राजस्व रेकर्ड में अमल दरामदगी के पश्चात प्रतिवादीगण न तो कब्जा में खुद दखलंदाजी करे तथा न ही अन्य से करावे इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी करावे।

2. वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को समन जारी किये गए। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की ओर जरिये अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 8 व 9 राजपेरोकार द्वारा जवाब पेश किया गया।
3. दिनांक 13.04.2023 को न्यायालय द्वारा उभयपक्ष अधिवक्ताओ के निवेदन पर विवादीत आराजी मौजा दौलतपुरा, पटवार हल्का आखराड के खसरा नम्बर 203, 204, 205, 558, 631, 632 रकबा क्रमश 0.08, 0.63, 0.61, 0.65, 2.26, 1.07 हेक्टेयर जूमले रकबा 5.30 हैक्टेयर आराजी में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के बिच हक हिस्से व कब्जे काश्त अनुसार रास्ते की सुविधा देते हुए बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड के जरिये बंटवाडा प्रस्ताव के प्राथमिक डिक्री के आदेश तहसीलदार रानीवाडा को किये गये। तहसीलदार रानीवाडा से पत्रांक/कोर्ट/2023/392 दिनांक 05.05.2023 के द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना मंगवाई गई। जिस पर कब्जा काश्त अनुसार बंटवारा प्रस्तावित कर पत्रांक/राजस्व/2024/59 दिनांक 24.01.2024 से इस न्यायालय को प्रस्तुत किये हैं।
4. तहसीलदार रानीवाडा द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव को उपस्थित पक्षकारान को पढकर सुनाया गया । उभयपक्ष के विद्वांन अधिवक्ता को सुना गया। वादीगण अधिवक्ता के बहस पर तथ्यों पर मनन किया। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा विभाजन प्रस्ताव अनुसार बंटवाडा करने का निवेदन किया गया। अतः तहसीलदार रानीवाड़ा से प्राप्त प्राथमिक डिक्री अनुसार बंटवाडा किया जाना उचित प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार रानीवाडा द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के बीच बंटवारा की अंतिम डिक्री निम्न लिखित अनुसार जारी की जाती है।

क्र. सं.	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टे0 में	बंटवाडे में आया रकबा हैक्ट0 में	किस्म	नक्शा ट्रेश में अंकित रंग	लगान राशि
1.	रेखाराम पुत्र जोगाराम हिस्सा 265/1348, रीदाराम पुत्र जोगाराम हिस्सा 265/1348,	558	[illegible]	0.65	बा.दो.	नीला	1.95
		631	2.26	2.11	बा.दो.		6.33

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.03.11 11:29:00 IST
Reason: SelfAttested

	वगताराम पुत्र जोगाराम हिस्सा 265/1348, हरजीराम पुत्र जोगाराम हिस्सा 265/1348, जतनादेवी पत्नि जोगाराम हिस्सा 72/337 कौम कलबी सा. देह खातेदार	205	0.61	0.49	चा.प्र.		19.21
				0.12	जा.प्र.		
	कूल	**3**	—	**3.37**	—	—	**27.49**
2.	थानाराम पुत्र गलबा हिस्सा 1/6, **रहन– आईसीआईसीआई बैक रानीवाडा**, रणछोडाराम पुत्र गलबा हिस्सा 1/6 **रहन– आईसीआईसीआई बैक रानीवाडा** , बगीदेवी पत्नि गलबा हिस्सा 1/6 **रहन– आईसीआईसीआई बैक रानीवाडा** ,कोकू पुत्री गलबा हिस्सा 1/6 मथरा पुत्री गलबा हिस्सा 1/6, विमला पुत्री गलबा हिस्सा 1/6 कौम कलबी सा. देह खातेदार	203	0.08	0.08	गै.मू. ढाणी	लाल	—
		204	0.63	0.63	चा.प्र.		18.50
		631	2.26	0.15	जा.प्र. बा.दो.		1.62
		632	1.07	1.07	बा.दो.		3.21
	कुल	**4**	—	**1.93**	—	—	**23.33**

5. उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के बीच पृथक पृथक खाते खोलकर एवं मोमीयॉ नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार रानीवाड़ा को आदेशित किया जाता है। उक्त बंटवारा अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के हक में प्राप्त आराजी के सम्बन्ध में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे न किसी अन्य से करावें इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है।

पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे।

(भागीरथ राम)
सहायक कलेक्टर
रानीवाडा जिला–सांचौर

निर्णय आज दिनांक 22.02.2024 से सरे इजलाज सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला–सांचौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.03.11 11:29:00 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल्स 6–7, जाब्ता दीवानी)

(civil procedure code, Appendix "D"-1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर रानीवाडा जिला सांचौर

पीठासीन अधिकारी श्री भागीरथराम, आर.ए.एस.

वादी		प्रतिवादीगण
1. रीदाराम पुत्र जोगाजी 2. वगता पुत्र जोगाजी 3. रेखा पुत्र जोगाजी 4. हरजी पुत्र जोगाजी 5. जतना बेवा जोगाजी समस्त जातियान कलबी निवासी दौलतपुरा तहसील रानीवाडा	बनाम	1. रणछोडा पुत्र गलबा 2. थानाराम पुत्र गलबा 3. कोकू पुत्री गलबा 4. मथरा पुत्री गलबा 5. विमला पुत्री गलबा 6. बगीदेवी बेवा गलबा समस्त जातियान कलबी निवासीयान दौलतपुरा 7. शाखा प्रबंधक मारवाडा ग्रामीण बैक शाखा मालवाडा 8. उपपंजीयक रानीवाडा 9. तहसीलदार रानीवाडा

अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 30/2018

यह मुकदमा आज इनफिसाल कत्तई रूबरू पक्षकारान व हाजरी वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री रमेशकुमार गर्ग उपस्थित, प्रतिवादी संख्या 1 से 6 की ओर अधिवक्ता श्री श्रवणसिंह देवडा उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 8 व 9 राजपेरोकार उपस्थित। मनजानिव मुद्रायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि तहसीलदार रानीवाड़ा द्वारा उक्त प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के बीच बंटवारा की अंतिम डिक्री निम्न लिखित अनुसार जारी की जाती है।

क्र. सं.	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टे0 में	बंटवाडे में आया रकबा हैक्ट0 में	किस्म	नक्शा ट्रेश में अंकित रंग	लगान राशि
1.	रेखाराम पुत्र जोगाराम हिस्सा 265/1348, रीदाराम पुत्र जोगाराम हिस्सा 265/1348, वगताराम पुत्र जोगाराम हिस्सा 265/1348, हरजीराम पुत्र जोगाराम हिस्सा 265/1348, जतनादेवी पत्नि जोगाराम हिस्सा 72/337 कौम कलबी सा. देह खातेदार	558	0.65	0.65	बा.दो.	नीला	1.95
		631	2.26	2.11	बा.दो.		6.33
		205	0.61	0.49	चा.प्र.		19.21
				0.12	जा.प्र.		
	कूल	3	–	3.37	–	–	27.49
2.	थानाराम पुत्र गलबा हिस्सा 1/6, रहन– आईसीआईसीआई	203	[illegible]	0.08	गै.मू. ढाणी	लाल	–

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.03.11 11:29:00 IST
Reason: SelfAttested

	बैक रानीवाडा, रणछोडाराम पुत्र गलबा हिस्सा 1/6 **रहन– आईसीआईसीआई बैक रानीवाडा** , बगीदेवी पत्नि गलबा हिस्सा 1/6 **रहन– आईसीआईसीआई बैक रानीवाडा** ,कोकू पुत्री गलबा हिस्सा 1/6 मथरा पुत्री गलबा हिस्सा 1/6, विमला पुत्री गलबा हिस्सा 1/6 कौम कलबी सा. देह खातेदार	204	0.63	0.63	चा.प्र.		18.50
		631	2.26	0.15	जा.प्र. बा.दो.		1.62
		632	1.07	1.07	बा.दो.		3.21
	कुल	**4**	–	**1.93**	–	–	**23.33**

उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के बीच पृथक पृथक खाते खोलकर एवं मीमोयॉ नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार रानीवाड़ा को आदेशित किया जाता है। उक्त बंटवारा अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के हक में प्राप्त आराजी के सम्बन्ध में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे न किसी अन्य से करावें इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जाति है।

बशर्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 22.02.2024 को जारी की गई।

(भागीरथ राम)
सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला–सांचौर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दयलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	2	00	स्टाम्प वकालतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	2	00	जवाबदावा	0	00
स्टाम्प वजह सबूत	0	00	स्टाम्प अर्जी	0	00
महनताना वकील	0	00	महनताना वकील	0	00
खर्चा गवाहान	0	00	खर्चा गवाहान	0	00
फीस कमीश्नर	0	00	फीस कमीश्नर	0	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00
मुतफरिक	0	00	मुतफरिक	0	00
मौजाना	4	00	**मौजाना**	1	00

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.03.11 11:29:00 IST
Reason: SelfAttested